रजिस्टर्ड ए0डी0

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.2(1)खान/ग्रुप–1/2014 जयपुर, दिनांक: 11 JUL 2019

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा क्रमांक एफ.7(43)भर्ती/गोपनीय/2014–2015/348 दिनांक 21.02.2019 के आधार पर राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को वरिष्ठ रसायनज्ञ (Sr. Chemist) के पद पर Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 में Pay Matrix L-16) में दो वर्ष के परीवीक्षाधीन काल के लिये Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथी से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र. स.	मेरिट	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथी	वर्ग	वर्ग जिसके विरूद्व चयनित
1.	01	100027	श्री श्रीराम बलाई	15.07.1973	SC	GENM

- उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही हैं, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिन्हें आरपीएससी द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
- उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 20 की पद्वति एवं प्रावधान और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी संशोधन/आदेशों के अनुसार शासित होगी।
- यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र संख्या प.8(1)कार्मिक/क–2 /2003 दिनांक 06.09.2003 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(7) वित्त/ नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा पूर्ति दावें शासित होंगे।
- उक्त अभ्यर्थी का शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राप्त प्रमाण पत्रों के अनुसार इनकी स्वास्थ्य एवं चरित्र प्रमाण पत्र सन्तोष जनक पाये गये है।
- परीवीक्षा परीक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परीवीक्षा परीक्षण अवधि में सन्तोषजनक पूर्ण उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्तें नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् लागू होगी।
- दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में उपरोक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थी को इस आदेश की प्राप्ति के 04 सप्ताह की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को अपनी उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश बिना किसी अन्य पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। इस पद का कार्यग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

(कमलेश सिंह चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ..7(43)भर्ती/गोपनीय/2014–2015/348 दिनांक 21.02.2019 के अनुसरण में।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त अभ्यर्थी की कार्यग्रहण की सूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें तथा विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र एवं सन्तान सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावे तथा मेरिट संख्या 01 श्री श्रीराम बलाई, वरिष्ठ रसायनज्ञ को निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के रिक्त पद पर पदस्थापित कराने का श्रम करें। पदस्थापन/कार्यग्रहण से पूर्व अभ्यर्थियों से नियमानुसार वांछित अभिलेख प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी., श्री श्रीराम बलाई पुत्र श्री रायमल, ACE सहायक रासायनिक परीक्षक, (प्रभारी अधिकारी), आबकारी प्रयोगशाला, जोन–अजमेर, ब्यावर रोड, राजस्थान स्टेट गंगानगर, शुगर मिल के पीछे, अजमेर, तारागढ रोड अजमेर।
8. सम्बन्धित कार्यालय मार्फत निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर
9. निजी पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली।

(शंभू दयाल प्रजापति)
सहायक शासन सचिव